आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मुकदमा नं0 :–118/2019 निर्णय दिनांक :–20.02.2020

मानसिंह. वगै0 बनाम जुगलाल वगै0

आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा
निर्णय

दिनांक 20.02.2020 वकील पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिशल किया गया। पक्षकारान ने राजीनामा में अंकित किया कि उनवानी आवेदन पत्र में जमीन खसरा नं0 554 वाके मौजा डुलानिया के पश्चिमी सीमा से जमीन हाल खसरा नं0 556 तक दूरी का रास्ता सबसे नजदीक लगता है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2019 को दी गई जिसमें एक नजरी नक्शा पेश किया। जिसके आधार पर रास्ता दिया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा नं0 556 वाके ग्राम डुलानिया स्थित में से जो रास्ते में भूमि जावेगी उसके बदले अपनी कृषि भूमि में से देने के लिये तैयार है। रास्ते की भूमि के बदले भूमि यानी जोत के बदले जोत के आधार पर नया रास्ता देने का आदेश प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। पक्षकारान की बहस सुनी गई राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जांच रिपोर्ट पाठक/2019/368 दिनांक 06.09.2019 के मुताबिक प्रस्तुत नजरी नक्शा के मुताबिक भूमि खसरा नं0 554 में बिन्दु संख्या ए से बी की दूरी लम्बाई 160 मीटर व बी से सी तक की दूरी लम्बाई 30 मीटर कुल 190 मीटर लम्बा व चार मीटर चौड़ा कुल 760 वर्गमीटर भूमि खसरा नं0 554 मे से कम की जाकर नया रास्ता कायम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस रास्ते में कायम की गई भूमि 760 मीटर के बदले खसरा नं0 556 के उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं0 554 में शामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा, रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 368 दिनांक 06.09.2019 निर्णय का भाग रहेगा

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:45.24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner